प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 27 **दिसम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-4 के अंतर्गत मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में राज्यांश के रूप में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/559, दिनॉक 22.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-4 के अंतर्गत मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में राज्यांश के रूप में देय अवशेष धनराशि रू0 3000.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष में मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-4 के अंतर्गत मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण हेतु निर्माण कार्य की लागत के सापेक्ष अवशेष राज्यांश रू0 8.73 करोड़ तथा उपकरण मद में अवशेष राज्यांश रू0 19.61 करोड़ अर्थात् कुल रू0 28.34 करोड़ (रू0 अट्ठाईस करोड़ चौंतीस लाख मात्र) (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक प्रगति का विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,34,00,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ चौंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051006 मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण मानक / मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by सत्य प्रकाश सिंह **भवदीय**
Date: 26-12-2022 15:29:43
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनुसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (पी0एम0एस0एस0वाई0 डिवीजन), नई दिल्ली।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
6. संयुक्त् सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा
8. सी0ई0ओ0 , हाईट्स इन्फ्राटेक सर्विसेस लि0, नोएडा।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-20222-23-71-1001-1672-2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-4 के अंतर्गत मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण हेतु मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में राज्यांश के रूप में देय धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031051005 (मेडिकल कालेज, कानपुर का उच्चीकरण)	24 (वृहत निर्माण कार्य)	40,00,00,000 रूपये चालीस करोड़ मात्र	40,00,00,000 रूपये चालीस करोड़ मात्र	28,34,00,000 रूपये अट्ठाईस करोड़ चौंतीस लाख मात्र	28,34,00,000	11,66,00,000	2022-23

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031051006 (मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण)	24 (वृहत निर्माण कार्य)	10,39,00,000 रूपये दस उनतालिस लाख मात्र	28,34,00,000 रूपये अट्ठाईस करोड़ चौंतीस लाख मात्र	28,34,00,000	38,73,00,000	2022-23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलखा पक्ष में 10-प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पी)0एम0एस0एस0वाई0)-05 मेडिकल कालेज , कानपुर का उच्चीकरण हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष रू0 2834.00 लाख की बचत संभावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलखा पक्ष में 10-प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पी)0एम0एस0एस0वाई0)-06 मेडिकल कालेज , आगरा का उच्चीकरण हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में राज्यांश के रूप में पर्याप्त धनराशि का प्राविधान न होने के कारण रू0 2834.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-budget-1-212, दिनांक 22, दिसम्बर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।